कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/स्था./2024/23 दिनांक : 18.01.2024

:: कार्यालय–आदेश ::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन सं. RHC/Exam.Cell/Sub.Court/Steno/2023/1515 Dated 28.07.2023 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक संख्या G/I/A-4(i)(a)151/22/80 Dated 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं। निम्न सारणी में अंकित आशार्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की शर्त पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं :–

S.No.	Name of Candidate	Date of Birth	Roll No.	Gender	Category
01	Jay Vyas	05.01.2003	27654	Male	General
02	Mohammed Shadab	27.03.1999	31596	Male	EWS

शर्ते :–

01. सभी नियुक्तियाँ आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिका एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेगी।
02. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
03. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समूचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
04. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई हैं। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
05. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाऐं या सत्यापन सही नहीं पाए जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर बिना नोटिस दिए सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
06. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनःर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
07. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
08. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
09. नव–नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभयर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत् सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18/01/2024

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमशः...........02

क्रमांक/स्था./2024/596 - 599 दिनांक : 18.01.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रभाराधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा।
2. श्री जय व्यास पुत्र श्री राजेन्द्र व्यास, निवासी गणेश मंदिर के पास आनन्द कॉलोनी, तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) पिन कोर्ड नम्बर 327025, मोबाईल नम्बर 9024594426.
3. श्री मोहम्मद शादाब पुत्र श्री मोहम्मद शफिक, निवासी गाजीपुरा उपला खाटवाड़ा, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) पिन कोर्ड नम्बर 327001, मोबाईल नम्बर 9602002388.
4. स्थापना शाखा।

18/01/2024

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)